राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–462/2025

चन्द्र प्रकाश मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त कृषि, कृषि भवन, जयपुर, राजस्थान।
3. द्वारकाधीश मीणा मु. खेडीया कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, हिण्डोन सिटी।
4. राकेश मीणा मुख्यालय बागरेडा धाटा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, चित्तौड़गढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा क्रम संख्या 522 पर अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण मु. रामनगर, जि.वि.अधि. सीएडी, बुंदी से मु. खेड़िया, सहा.निदे. कृषि विस्तार, हिण्डोन सिटी में किया गया है और क्रम संख्या 1032 पर अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण मु. रामनगर, जि.वि.अधि. सीएडी, बुंदी से मु. बागरेडा धाटा सहायक निदेशक कृषि विस्तार, चित्तौड़गढ में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए एक ही आदेश से अपीलार्थी का दो भिन्न जगह पर स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये अपीलार्थी का

स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया जाना चाहिए।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि एक ही आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण दो भिन्न स्थानों पर किया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आयुक्तालय की मंशा अपीलार्थी को किस स्थान पर पदस्थापित किये जाने की रही है। उपरोक्त परिस्थितियों में हम प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश देते हैं कि वो अपीलार्थी के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण करते हुए आदेश जारी करें, तब तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)